अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या–प्र07 / नियम–02 / 2016 पटना, दिनांकः

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।

विषयः **पथ निर्माण विभाग से संबंधित सूचना के प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पथ निर्माण विभाग से संबंधित आवश्यक सूचना, प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी पत्रों में, शीघ्र प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय। प्रकाशित होने वाले सूचना की प्रति (6 प्रतियों में) एवं CD (Soft प्रति) इस पत्र के साथ संलगन कर भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र07 / नियम–02 / 2016 5135 (E)we पटना, दिनांकः 8/9/17

प्रतिलिपिः– सभी पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता (रा0उ0प0 उपभाग सहित) / सभी अधीक्षण अभियंता(रा0उ0प0 उपभाग सहित) / सभी कार्यपालक अभियंता(रा0उ0प0 उपभाग सहित) को प्रकाशित होने वाले सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को अनुरोध है कि प्रकाशित होने वाले सूचना विभागीय Web Site पर Upload करने की कृपा की जाये।

अनु0–यथोक्त।

8/9/17

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

राज्य के कार्य विभागों में ठेकेदार निबंधन की सरल प्रक्रिया का शुभारंभ

पथ निर्माण विभाग ने बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के अंतर्गत ऑनलाईन निबंधन की व्यवस्था की है।

2. इस व्यवस्था के अंतर्गत इच्छुक आवेदक, पथ निर्माण विभाग की वेवसाईट www.rcd.bih.nic.in पर ऑनलाईन निबंधन करा सकते हैं। निबंधन हेतु आवश्यक जानकारी एवं Documents का विवरण विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

3. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा रू0 15 लाख तक की प्राक्कलित राशि के कार्यों का 50 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला संवेदकों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है।

तद्नुसार इच्छुक आवेदक, जो ठीकेदारी के माध्यम से रोजगार में अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, वे पथ निर्माण विभाग द्वारा विकसित की गयी सुविधा का प्रयोग कर online registration करा सकते हैं।

5. पथ निर्माण विभाग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि श्रेणी–4 (स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी) में दिनांक 31.10.17 तक निबंधित होने वाले संवेदकों को निःशुल्क क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण कराया जायेगा।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11.08.2017 से बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के अन्तर्गत श्रेणी–4 (स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी) में संवेदकों का निबंधन online प्रक्रिया से प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके लिए विभागीय वेबसाईट www.rcd.bih.nic.in के माध्यम से Online Contractors registration मॉड्यूल को सेलेक्ट कर इसे खोला जायेगा, तदोपरान्त सभी अनुवर्ती प्रक्रिया के तहत Online आवेदन को भरकर Online ही Submit करना होगा। निबंधन शुल्क भी SBI का चेक/Debit Card अथवा Netbanking (SBI and other Bank) के माध्यम से Online अथवा online generated चलान के माध्यम से State Bank of India के किसी भी शाखा में नगद रूप से जमा किया जायेगा। विस्तृत दिशा निदेश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।